

यात्रा भत्ता बिलों को तैयार करने के लिए अनुदेश

1. विभिन्न प्रकार की यात्राएं और यात्रा एवं विराम की प्रविष्टि एक ही लाइन में न की जाए ।
2. सड़क अथवा नाव द्वारा की गई यात्रा के सभी मामलों में यात्रा की दूरी को कॉलम 4 में प्रविष्टि किया जाए । रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्थिति में इसकी प्रविष्टियां न की जाए ।
3. स्थायी यात्रा भत्ता और घोड़ा भत्ता को सरकारी कर्मचारी के वेतन के साथ न कि यात्रा बिलों के साथ आहरित किया जाए ।
4. किसी एक यात्रा के लिए बिल के कुलयोग में दूरी के भिन्न को प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए ।
5. यदि यात्रा भत्ता बिल की प्रथम मद में 'आधा' इंगित है तो इस 'आधा' की प्रारंभ तिथि को "टिप्पणी" कॉलम में इंगित किया जाना चाहिए ।
6. वैसे दिवसों के लिए जब दैनिक भत्ता बढ़ी हुई दर (पहाड़ी मार्ग, साधारण अथवा विशेष मार्ग सहित) पर दावा की गई है तो दिवसों की प्रासंगिक प्रविष्टियों के सामने टिप्पणी कॉलम में एक उपयुक्त नोट अवश्य लिखा जाना चाहिए ।
7. यात्रा के घंटों को तभी इंगित किया जाए जब :-
 - क. मुख्यालय से दो क्रमागत दिवसों से अधिक नहीं की अनुपस्थिति के लिए दो दिवसों के लिए दैनिक भत्ता का दावा किया गया है ।
 - ख. उसके बदले में माइलेज अथवा वास्तविक व्यय का दावा किया गया है ।
 - ग. सड़क यात्रा अथवा विराम के तुरंत पहले अथवा उसके बाद रेल अथवा स्टीमर से की गई यात्रा के संबंध में दोनों रेल अथवा स्टीमर किराया और दैनिक भत्ता का दावा किया गया हो ।
8. बिल के साथ प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया उपस्थिति प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए ।

सरकारी दौरे के यात्रा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है :-

1. बिल में दर्शाया गया सड़क और रेल यात्रा का माइलेज और किराया मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।
2. यात्रा भत्ता बिल में दर्शाया गई दूरी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।
3. दावा किए गए माइलेज के संबंध में एस.आर. 46 में यथा निर्धारित भाड़े पर किसी टैक्सी, मोटर, ओमनी बस अथवा मोटर लॉरी में एकल सीट लेकर उच्चतर दरों पर सड़क यात्रा नहीं की है ।
4. सरकारी / विश्वविद्यालय के वाहनों द्वारा की गई सड़क यात्राओं के लिए किसी भी माइलेज का दावा नहीं किया गया है ।
5. इस बिल में दावा से संबंधित यात्राओं के लिए मैंने कोई यात्रा भत्ता अग्रिम प्राप्त नहीं किया है ।
6. मेरे द्वारा प्राप्त यात्रा भत्ता अग्रिम को इस बिल में समायोजित कर दिया गया है और बिल में किए गए दावे केवल शेष राशि के लिए हैं ।
7. मैं वास्तव में न कि अन्वय मात्र से रविवार और छुट्टियों के दिन कैंप में था, जिसके लिए बिल में दैनिक भत्ता का दावा किया गया है ।
8. बिल में दर्शाया गई दूरी वाहन की लॉग बुक से मेल खाती है ।
9. विराम स्थल और समय दोनों के संबंध में बिल में दर्शाया गई / दर्शाए गए विराम लोकहित में आवश्यक था ।
10. क्षेत्राधिकार के बाहर यात्रा उचित प्राधिकार के अन्तर्गत की गई है ।
11. जिन दिवसों के लिए दैनिक भत्ता का दावा किया गया है, उस अवधि के दौरान मैं आकस्मिक अवकाश पर नहीं था ।
12. मैंने लोकहित में यात्रा की है ।
13. विराम की अवधि के दौरान मुझे राज्य अतिथि नहीं माना गया था ।
14. मैंने यात्रा भत्ता में दावे के अनुसार वास्तव में रेलगाड़ी की उक्त श्रेणी में यात्रा की है और मैं इस श्रेणी के लिए पात्रता रखता हूँ ।
15. बिल में दर्शाया गई रेल अथवा एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा वास्तव में ही यात्रा की गई है ।
16. यात्रा सबसे छोटे और सस्ते मार्ग से की गई है ।
17. परिवार के सदस्य जिनके लिए यात्रा भत्ता दावा किया गया है, मेरे ऊपर आश्रित हैं और स्थानांतरण के दौरान वास्तव में मेरे साथ थे ।
18. इस दावा को इससे पूर्व किसी रूप में नहीं किया गया है ।
19. यह प्रमाणित किया जाता है व्यक्तिगत सामानों के परिवहन की लागत के लिए वास्तविक व्यय राशि दावा की गई व्यय राशि से कम नहीं थी ।
20. मेरे स्थानांतरण पर मैंने क्विंटल वजन के सामानों का परिवहन किया है ।